न्यायालयः— प्राची शर्मा उपाध्याय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी (म.प्र.)

क्रमांक— 1113 दिनांक— 09.12.2025

।। आंशिक संशोधन आदेश ।।

—:: आपराधिक कार्य विभाजन ::—

मैं प्राची शर्मा उपाध्याय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला शिवपुरी म.प्र. माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्र. 8565/तीन—2—3/74 दिनांक 12/03/1977 के निर्देशानुसार तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा—12 एवं 13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 268 दिनांक 15.04.2025 में निम्न संशोधन करती हूं ::—

क्र.	नाम मजिस्ट्रेट	क्षेत्राधिकार का थाना/विभाग	रिमार्क/अनुदेश
1-	2-	3-	4-
1.	श्रीमती ऋचा सिंह राजावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी (म.प्र.)	**आरक्षी केन्द्र 1.महिला थाना**	1. आरक्षी केन्द्र महिला थाना के अंतर्गत एवं उनसे उत्पन्न अभियोग पत्र, परिवाद पत्र एवं निजी परिवाद पत्र, अंतिम प्रतिवेदन (एफ.आर.) और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां। (ग्राम न्यायालय अधि. नियम 2008 से संबंधित अभियोग पत्रों को छोड़कर)। 2. आरक्षी केन्द्रों सिरसौद, गोपालपुर, फिजीकल, सुरवाया, सुभाषपुरा, देहात, सतनवाड़ा, कोतवाली, बम्हारी के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 5 में उल्लेखित महिलाओं के विरूद्ध अपराधों एवं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304—बी, 354, 354—ए, 354—बी, 354—सी, 354—डी, 366—ए, 366—बी, 372, 373, 375, 376—ए लगायत 376—ई, 494, 495, 496, 498 एवं 498—ए एवं उनसे उद्भूत महिला अपराध से संबंधित आपराधिक प्रकरण उनके अभियोग पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुशांसिक/विविध कार्यवाहियां एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत उत्पन्न मामले एवं अनुषांगिक कार्यवाहियां तथा धारा 125 दं.प्र.सं. के अंतर्गत उत्पन्न मामले। 3. तहसील शिवपुरी के समस्त आरक्षी केन्द्रों के अंतर्गत मुस्लिम महिलायें (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मामले एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां।

			4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित किये गये और निर्देशित किये गये आपराधिक मामले और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां।
2.	सुश्री निहारिका व्यास, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, शिवपुरी	**आरक्षी केन्द्र 1. गोपालपुर, 2.अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण शिवपुरी, 3. सुभाषपुरा**	1. आरक्षी केन्द्र सुभाषपुरा, गोपालपुर, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण शिवपुरी के अंतर्गत एवं उनसे उत्पन्न अभियोग पत्र, परिवाद पत्र एवं निजी परिवाद पत्र अंतिम प्रतिवेदन (एफ. आर.) और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां। (ग्राम न्यायालय अधि. नियम 2008 से संबंधित अभियोग पत्रों को छोड़कर)। 2. आरक्षी केन्द्र सुभाषपुरा, गोपालपुर अंतर्गत उद्भूत मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय स्वापक औषधिक एवं मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत मामले। 3. आरक्षी केन्द्र गोपालपुर, बम्हारी, सुरवाया एवं सुभाषपुरा की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अधीन अपराध से संबंधित परिवाद पत्र एवं उनसे उत्पन्न अनुषांगिक कार्यवाहियां। 4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर अंतरित किये गये और निर्देशित किये गये आपराधिक मामले और उनसे उत्पन्न अनुषांगिक/विविध कार्यवाहियां।

यह कार्य विभाजन आदेश दिनांक 11-12-2023 अन्य आदेश होने तक प्रभावशील होगा।

(प्राची शर्मा उपाध्याय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला शिवपुरी म0प्र0

अनुमोदित

(Rajendra Prasad Soni)
Principal District & Sessions Judge
Shivpuri (M.P.)

// कार्यालय :– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला–शिवपुरी, म0प्र0 //

पृष्ठांकन क्र.– 1129 शिवपुरी, दिनांक– 12/12/2025

प्रतिलिपि :–

01– माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला–शिवपुरी की ओर अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।

02– समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण प्रथम/द्वितीय श्रेणी शिवपुरी/करैरा/पिछोर/कोलारस/पोहरी/खनियांधाना की ओर पालनार्थ प्रेषित।

03– पुलिस अधीक्षक जिला–शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

04– जिला लोक अभियोजन अधिकारी, शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

05– जिला विधिक सहायता अधिकारी शिवपुरी की ओर सूचनार्थ।

06– अध्यक्ष अभिभाषक संघ शिवपुरी/करैरा/पिछोर/कोलारस/पोहरी/खनियांधाना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

07– सिस्टम ऑफिसर सर्वर रूम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

12/12/25

(प्राची शर्मा उपाध्याय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला–शिवपुरी, (म.प्र.)